भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 378

11 अगस्त, 2017 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

रेजिडट डॉक्टर

***378. श्री कीर्ति आजादः**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करगे किः

(क) क्या सरकार को उन सरकारी अस्पतालों म रेजिडट डॉक्टरों पर अत्यधिक कायभार का जानकारी है जहां वे अक्सर लगातार 30 घंटे तक काम करते ह और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेजिडट डॉक्टरों पर कायभार को कम करने हेतु सरकार की कोई काय-योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जनसंख्या के अनुपात म डॉक्टर की संख्या म वृद्धि की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों म होने वाली मौतों का अनुपात लगभग समान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकारी अस्पतालों के कायकरण म सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे ह?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा म दिनांक 11.08.2017 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 378* के उत्तर म उल्लिखित विवरण

(क) से (ख): स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के नाते कद्रीय स्तर पर ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, जहां तक दिल्ली म कद्र सरकार के अस्पतालों अथात् डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पातल, सफदरजंग एवं लेडी हार्डिग मेडिकल कॉलेज (एलएचएमसी) एवं संबद्ध अस्पतालों का संबंध है, रेजीडसी स्कीम के अनुसार रेजीडट डॉक्टरों को सामान्यत: एक ही बार म 12 घंटों से ज्यादा काम करने की अनुमति नहीं दी जाती। तथापि, कार्य की आकस्मिकता की वजह से उन्ह कभी-कभार 12 घंटे के बाद भी अपने कतव्य का निवहन करना पड़ सकता है।

(ग): सरकार ने डॉक्टरों की संख्या म वृद्धि करने के लिए विभिन्न कदम उठाए ह। इन प्रयासों म निम्नलिखित शामिल ह:-

(i) सभी एमडी/एमएस पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षकों और छात्रों के अनुपात को 1:1 से संशोधित करके 1:2 तथा संज्ञाहरण विज्ञान, फॉरेंसिक मेडिसिन, रेडियोथेरेपी, मेडिकल ऑंकोलॉजी, सर्जिकल ऑंकोलॉजी और साइकेट्री विषयों म इस अनुपात को 1:1 से संशोधित करके 1:3 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रोफेसर के लिए सावजनिक रूप से वित्त पोषित सरकारी चिकित्सा कॉलेजों म अध्यापक:छात्र के अनुपात को सभी नैदानिक विषयों म 1:2 से 1:3 तक और यूनिट के प्रमुख एसोसिएट प्रोफेसर होने पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1:1 से 1:2 तक बढ़ाया गया है। इसके परिणामस्वरूप देश म स्नातकोत्तर सीटों की संख्या म वृद्धि होगी।

(ii) संकाय की कमी को पूरा करने हेतु संकाय के रूप म नियुक्ति के लिए डीएनबी अहता को मान्यता प्रदान की गई है।

(iii) एमबीबीएस स्तर पर अधिकतम दाखिला क्षमता को 150 से बढ़ाकर 250 कर दिया गया है।

(iv) मेडिकल कॉलेजों म शिक्षकों / डीन / प्रधानाचाय / निदेशक के पदों पर नियुक्ति/सेवा विस्तार / पुनर्नियोजन हेतु आयु सीमा को 65 वष से बढ़ाकर 70 वष कर दिया गया है।

(v) मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु भूमि, संकाय, कमचारी, बिस्तर/बिस्तर क्षमता तथा अन्य आधारभूत संरचना की आवश्यकता की दृष्टि से निर्धारित मानकों म छूट दी गई है।

(vi) नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने/स्नातकोत्तर सीटों म वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण/उन्नयन।

(vii) देश के अल्पसेवित जिलों को प्राथमिकता देते हुए जिला/रेफरल अस्पतालों का उन्नयन करके नए मेडिकल कॉलेजों का स्थापना।

(viii) एमबीबीएस सीटों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार/कद्र सरकार के मौजूदा मेडिकल कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण/उन्नयन

(घ): निजी अस्पतालों की तुलना में सरकारी अस्पतालों में मृत्यु दर संबंधी डाटा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ङ.): चूंकि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं, अत: नागरिकों का स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का है। सरकारी अस्पतालों की स्थिति में सुधार करने हेतु प्रयास करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। तथापि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के आधार पर सभी नागरिकों को सुलभ, वहनीय और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने हेतु उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत अवसंरचना सुदृढ़ीकरण, क्षमता निर्माण, मानव संसाधन, चिकित्सा उपकरणों इत्यादि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

जहां तक कद्र सरकार के उपयुक्त अस्पतालों का संबंध है, इन अस्पतालों में डॉक्टरों के पद सहित अन्य नए पदों का सृजन करना एक सतत प्रक्रिया है और यह संसाधनों की उपलब्धता तथा अपेक्षा के अनुसार किया जाता है।

--*****--